उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(राजस्व शाखा)

–:: अनापत्ति प्रमाण–पत्र ::–

मेसर्स, आलोक स्टील इंडस्ट्री प्राईवेट लि० के पत्रांक–ASIPL/054/2022-23, दिनांक–16.09.2022 के द्वारा माण्डू अंचल अन्तर्गत मौजा–बुढ़ाखाप के खाता संख्या–01 के विभिन्न प्लॉट अन्तर्गत कुल रकवा–17.31 एकड़ गैरमजरूआ खास, जंगल–झाड़ी भूमि में मिनी स्टील प्लान्ट के निर्माण हेतु उक्त भूमि के एवज में 80 प्रतिशत राशि–3,56,13,739.00 (तीन करोड़ छप्पन लाख तेरह हजार सात सौ उन्चालिस) रूपये राजस्व विभाग के प्राप्ति शीर्ष–0029–भू–राजस्व, उप–शीर्ष–001, लघु शीर्ष–इकाई–(0029)–002900101060101 में चालान के माध्यम से जमा कराने के उपरान्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ एवं अंचल अधिकारी, माण्डू के अनुशंसा के आलोक में माण्डू अंचल अन्तर्गत प्रस्तावित मिनी स्टील प्लान्ट के निर्माण हेतु मौजा–बुढ़ाखाप के खाता संख्या–01 के विभिन्न प्लॉट अन्तर्गत कुल रकवा–17.31 एकड़ गैरमजरूआ खास, जंगल–झाड़ी भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

भूमि विवरणी निम्नवत् है–

अंचल का नाम	मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा (एकड़ में)	किस्म भूमि
माण्डू	बुढाखाप	150	01	238	0.02	गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी
				258	0.82	
				272	15.03	
				345	1.44	
				कुल रकवा–	**17.31**	

कुल रकवा–17.31 एकड़ गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि एवं वन (Deemed Forest) आदि से बाहर है, के अपयोजन हेतु सैद्धांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

ह0/–
उपायुक्त,
रामगढ़।

ज्ञापांक–333/रा०, रामगढ़, दिनांक–14/03/2023

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, माण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मेसर्स, आलोक स्टील इंडस्ट्री प्राईवेट लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

माधवी मिश्रा
13.3.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।